भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 1150
उत्तर देने की तारीख 23 मार्च, 2012

ग्रामीण मोबाइल फोन ग्राहकों के लिए राजसहायता

1150. श्री एस0 थंगावेलू :

क्या संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सरकार को राय दी है कि उन सभी ग्रामीण ग्राहकों को जो मोबाइल फोन कनैक्शन खरीदते हैं उन्हें सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से 250 रूपयों की एक बारगी राजसहायता प्रदान की जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार का क्या निर्णय है ?

उत्तर

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा)

(क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, विभाग को छोटे उपभोक्ताओं के लिए प्रशुल्क में कमी करने के संबंध में योजना आयोग से एक सुझाव प्राप्त हुआ है। योजना आयोग द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिमाह 300 रू0 से कम के सभी मोबाइल बिलों पर 20% की स्पष्ट राजसहायता देने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि का उपयोग कर सकती है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में नया कनेक्शन देते समय 250 रू0 की एकबारगी सब्सिडी भी दी जा सकती है। योजना आयोग के प्रस्ताव की दूरसंचार विभाग द्वारा जांच कर ली गई है, दूरसंचार विभाग इस स्तर पर प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है।

*****